न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल जिला–नागौर

बइजलास – रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.

मुकदमा नं. 03/2018

प्रार्थी :–

1. दानाराम पुत्र बालाराम
   जाति–जाट, निवासी– छाजोली तहसील–जायल जिला–नागौर।

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. भगवती पत्नि भूराराम पुत्री हरदीनराम जाति जाट निवासी–छाजोली
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार जायल
3. शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक जायल।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

1. अधिवक्ता श्री शिवकुमार पाराशर प्रार्थी की ओर से।
2. अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ अप्रार्थीगण 1 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 2 व 3 उपस्थित।

– : : आदेश : : –

दिनांक – 30/03/2021

प्रार्थना पत्र का संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रार्थी जरिये अधिवक्ता प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251ए का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा नं. 462 रकबा 13.03 बीघा मौजा छाजोली तहसील–जायल की सरहद में आया हुआ है। प्रार्थी का खेत खसरा नं. 462 के पश्चिम में अप्रार्थी भगवती का खेत खसरा नं. 461 खरीदसुदा स्थित है, जिसके पश्चिम में पूरी सींव–2 पर कटाणी मार्ग छाजोली से भिणीयाद चलता था, परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा प्रार्थी के खसरा नं. 462 के दक्षिणी कॉर्नर में रास्ते के चिपती भूमि पर टांका निर्माण कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया, जिसके कारण अब प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं रहा है। मूल खसरा नं. 462 के अन्य खसरा नं. 807/462 बनने के पश्चात प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462 में आने जाने के लिए टांके खसरा नं. 807/462 की उतरी सींव के सहारे–2 खसरा नं. 461 में से होते हुये ग्राम–छाजोली से भिणीयाद जाने वाले तक आता जाता रहा है, जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया गया है।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

30/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 462 में उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त वर्णित रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीकी नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए जो पूर्व में रास्ता था, वह अब बंद हो जाने के कारण अब अन्य कोई वैकल्पिक व निकटतम रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462 में आवागमन के लिए उपलब्ध नहीं होने से तथा अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अब दिनांक 21.01.2018 को उक्त रास्ता बंद कर आवागमन बाधित करने की एलानियां धमकी देने पर प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता तथा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया जाना लाजमी हुआ है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 461 में से 15 फीट चौडाई में ग्राम छाजोली से भिणियाद जाने वाले रास्ते तक स्वीकृत किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया तथा अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार जायल को हस्तगत प्रकरण में बिन्दूवार मौका रिपोर्ट हेतु तहरीर जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री दशरथसिंह राठौड़ ने वकालातनामा जवाब प्रार्थना पत्र/आपत्तिया पेश की। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलाई गई। जिसकी पालना में मौका रिपोर्ट दिनांक को प्राप्त हुई जो शामिल पत्रावली है। अप्रार्थी संख्या 3 स्वयं उपस्थित हुये।

प्रार्थना पत्र के संबंध में तहसीलदार जायल से जरिये पत्रांक भू.अ./2020/1683 दिनांक 08.07.2020 के प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट में तहसीलदार जायल ने बताया कि प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 461 में से नजरी नक्शानुसार बिन्दू संख्या ए से बी कटाणी रास्ते की मांग की है, मौके पर बिन्दू संख्या ए से बी लम्बाई 16 मीटर मौजूद है। खसरा नं. 462 में पहुंचने के लिए नजदीकी रास्ता खसरा नं. 469 में से उत्तरी पश्चिमी कोने की सींव पर 13 मीटर लम्बाई में है, जो ग्राम छाजोली से भिणीयाद जाने वाले कटाणी मार्ग पर स्थित है। खसरा नं. 461 के दक्षिणी कोने पर पानी का टांका बना होना बताया है। प्रार्थी के खेत में जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 461 की उतरी सींव से होकर जाता है। प्रस्तावित रास्ते की भूमि का क्षेत्रफल 59.4360 वर्गमीटर व डीएलसी दर के अनुसार प्रतिकर राशि 652 रू. बनती है।

सहायक कलक्टर

30/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

अप्रार्थी सं. 1 के अधिवक्ता ने अपने जबाब प्रार्थना पत्र/आपत्तियों में प्रार्थना पत्र में वर्णित आंशिक तथ्यों को स्वीकार करते हुये शेष कथन गलत होने से अस्वीकार किया। अप्रार्थी ने जवाब में बताया कि प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र के साथ नजरी नक्शा पेश नहीं किया जिससे कोनसा स्थान मार्क ए से बी है, का खुलासा नहीं हो रहा है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462, 463 में आवागमन का रास्ता अप्रार्थी के खेत की उतरी माठ पर से होकर छाजोली से भिणीयाद जाने वाली कटाणी रास्ते से फटकर पूर्व की तरफ के खेतो में जाने का कदीमी रास्ता रहता रहा है। उक्त रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 461 की उतरी माठ पर से होकर पूर्व की तरफ स्थित प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462, 463 में से एवम खसरा नं. 464, 467, 468 की माठ पर से होकर आगे पूर्व की तरफ के खेतो में आवागमन का पिढीयो से रहता रहा है तथा आज दिन भी बिना किसी बाधा व रूकावट के आज दिन भी प्रार्थी के खेत में आवागमन का रास्ता है। जिस रास्ता को प्रार्थी ने अप्रार्थी के पक्ष में दिनांक 02.12.2016 को लिखित इकरारनामा में स्वीकार करते हुये नोटेरी से प्रमाणित करवाया जिन तथ्यों को प्रार्थी ने न्यायालय से छिपाते हुये गलत रूप से कदीमी रास्ते बंद करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना में वर्णित खसरा नं. 462 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर प्रार्थी ने सरकारी योजना के तहत अपने खेत खसरा नं. 462 में से भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर निजी टांका का निर्माण कर लिया, जिससे अप्रार्थी ने भी अपने खते में पीने का पानी के लिए खसरा नं. 461 की सीवं पर करीबन 5–6 वर्ष टांका निर्माण कर लिया, जब प्रार्थी ने अप्रार्थी से खेत की सीमा का लेकर विवाद किया व बाद में एक इकरारनामा दिनांक 02.12.2016 को गाव के मुख्यान के रूबरू अप्रार्थी के पक्ष में लिखकर अपने खातेदारी की भूमि में खसरा नं. 461 के उतरी–पश्चिमी कोने से खसरा नं. 460, 461, 464, 463, 462, 467, 468 होने का स्वीकार करते हुये राजीनामा किया तथा अपनी गलती स्वीकार की एवं अप्रार्थी आज दिन भी उसी रास्ते का उपभोग कर रहा है, जिससे प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हो ऐसा कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में नहीं है, इसी प्रकार पूर्व में प्रार्थी के लिए रास्ता स्वयं के खातेदारी के खेत में से लगता था जिसे प्रार्थी ने टांका निर्माण करवाकर बंद करवाया है तथा नया रास्ते की मांग कर रहा है जो विरोधाभाषी तथ्य है। प्रार्थी को किसी प्रकार धमकी दी जाना मनगढ़त व बनावटी तथ्य है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मिथ्या एवं गलत होने तथा प्रार्थी के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता बिना रोक–टोक के सुचारू रूप से चलने से अस्वीकार है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खर्चा सहित खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर

30/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

चूंकि हस्तगत प्रकरण अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधीनियम 1955 के तहत है, जिसमें तहसीलदार जायल से मौका रिपोर्ट प्राप्त की जानी अपेक्षित होती है जो प्राप्त होकर सामिल मिसल है। उक्त प्रार्थना पत्र संक्षिप्त कार्यवाही (Summary Proceeding) का होने से वकुलाय की सहमति व निवेदन पर हस्तगत प्रकरण में बहस अन्तिम के निवेदन पर बहस वकुलाय सुनी गई।

दौराने बहस वकील प्रार्थी ने निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी के खेत 462 रकबा 13.03 बीघा मौजा छाजोली तहसील–जायल की सरहद में होना तथा उक्त खेत के पश्चिम में अप्रार्थी भगवती का खेत खसरा नं. 461 खरीदसुदा स्थित होना बताया, जिसके पश्चिम में पूरी सींव–2 पर कटाणी मार्ग छाजोली से भिणीयाद चलता था, परन्तु राजस्थान सरकार द्वारा प्रार्थी के खसरा नं. 462 के दक्षिणी कॉर्नर में रास्ते के चिपती भूमि पर टांका निर्माण कर उसका इन्द्राज राजस्व रेकर्ड में कर दिया गया, जिसके कारण अब प्रार्थी के खेत में आने जाने का रास्ता उपलब्ध नहीं रहा है। प्रार्थी अपने मूल खसरा नं. 462 के अन्य खसरा नं. 807/462 बनने के पश्चात खसरा नं. 807/462 की उतरी सींव के सहारे–2 खसरा नं. 461 में से होते हुये रास्ते का उपभोग करता रहा है, जिसे नजरी नक्शा में दर्शाया गया है।

प्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा नं. 462 में उक्त रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध नहीं होने तथा प्रार्थी को अपने खातेदारी के खेत में आने जाने के लिए रास्ता की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा उक्त वर्णित रास्ते अलावा अन्य कोई रास्ता नजदीकी नहीं है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए जो पूर्व में रास्ता था, वह टांका निर्माण के कारण अब बंद हो गया है तथा वैकल्पिक रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462 में आवागमन के लिए नहीं होने से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी द्वारा रास्ते के उपभोग के लिए काम में आ रही है भूमि जिसे भी अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा दिनांक 21.01.2018 को रास्ता बंद कर आवागमन बाधित कर दिया है। प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता है तथा प्रार्थी को काश्त, करसण हेतु अपने खातेदारी खेत में आने जाने के लिए उक्त प्रस्तावित रास्ते के अलावा अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता व कटाण रास्ते से निकटतम रास्ता नहीं होने पर प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 461 में से 15 फीट चौडाई में ग्राम छाजोली से भिणियाद जाने वाले रास्ते तक स्वीकृत किया जावे।

30/03/2021
सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

सहायक कलेक्टर
जायल

Scanned with CamScanner

अतः प्रार्थना पत्र में संलग्न नजरी नक्शा में दर्शाये मार्क अनुसार 15 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकार किया जावे। उक्त रास्ते के एवज में नियमानुसार प्रतिकर राशि वर्तमान डीएलसी दर के अनुसार प्रार्थी अप्रार्थी को भुगतान करने हेतु सहमत है।

दौराने बहस अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 प्रार्थी द्वारा दी गई दलीलों का खण्डन करते हुये निवेदन किया प्रार्थी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र गलत, मनगढ़त तथ्यों एवं सारहीन आधारो पर पेश किया है जो कि काबिले खारिज है। वकील अप्रार्थी ने बताया कि प्रार्थी ने कोनसा स्थान मार्क ए से बी रास्ता बताया, का खुलासा नहीं किया है। प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462, 463 में आवागमन हेतु अप्रार्थी के खेत की उतरी माठ पर से होकर छाजोली से भिणीयाद जाने वाली कटाणी रास्ते से फटकर खसरा नं. 464, 467, 468 की माठ पर से होकर आगे पूर्व की तरफ के खेतो में आवागमन का पिढीयो से रहता रहा है तथा आज दिन भी बिना किसी बाधा व रूकावट के आज दिन भी प्रार्थी के खेत में आवागमन का रास्ता उपलब्ध है। प्रार्थी ने तथ्यों को छिपाते हुये गलत रूप से कदीमी रास्ते बंद करने की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थना में वर्णित खसरा नं. 462 के दक्षिणी पश्चिमी कोने पर प्रार्थी ने सरकारी योजना के तहत अपने खेत खसरा नं. 462 में से भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित कर निजी टांका का निर्माण कर लिया तथा रास्ता बंद कर लिया जिससे व्यथीत होकर अप्रार्थी ने भी अपने खेत में पीने का पानी के लिए खसरा नं. 461 की सीवं पर करीबन 5–6 वर्ष टांका निर्माण कर लिया, जब प्रार्थी ने अप्रार्थी से खेत की सीमा का लेकर विवाद किया व बाद में एक इकरारनामा दिनांक 02.12.2016 को गाव के मुख्यान के रूबरू अप्रार्थी के पक्ष में लिखकर अपने खातेदारी की भूमि में खसरा नं. 461 के उतरी–पश्चिमी कोने से खसरा नं. 460, 461, 464, 463, 462, 467, 468 में से रास्ता होने की बात को स्वीकार करते हुये राजीनामा किया तथा अपनी गलती स्वीकार की एवं अप्रार्थी आज दिन भी उसी रास्ते का उपभोग कर रहा है, जिससे प्रार्थी को रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता हो ऐसा कोई तथ्य प्रार्थना पत्र में नहीं है, इसी प्रकार पूर्व में प्रार्थी के लिए रास्ता स्वयं के खातेदारी के खेत में से लगता था जिसे प्रार्थी ने टांका निर्माण करवाकर बंद करवाया है तथा नया रास्ते की मांग कर रहा है जो विरोधाभाषी तथ्य है। प्रार्थी को किसी प्रकार धमकी दी जाना मनगढ़त व बनावटी तथ्य है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सारहीन, मिथ्या एवं गलत होने तथा प्रार्थी के आने जाने के लिए वैकल्पिक रास्ता बिना रोक–टोक के सुचारू रूप से चलने से अस्वीकार है तथा प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी को तंग व परेशान की नियत से यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो खर्चा सहित खारिज किया जावे।

सहायक कलक्टर

30/03/2024
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

Scanned with CamScanner

पत्रावली में प्रार्थना पत्र, जवाब आपत्ति एवं तहसीलदार जायल की मौका रिपोर्ट 10.02.2021 का अवलोकन किया गया एवं वकुलाय बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी ने स्वयं के खातेदारी खेत खसरा नं. 462 के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 461 में से रास्ता दिलाये जाने का अनुतोष चाहा है। चूंकि प्रकरण हाजा में प्रस्तावित रास्ता ग्राम छाजोली से भिणीयाद जाने वाली सड़क तक किया गया। प्रकरण एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि प्रार्थी द्वारा अपने खातेदारी के खेत खसरा नं. 462 में से भूमि राज्य सरकार के पक्ष में समर्पित करते हुये निजी टांका निर्माण करवाया है, तथा जहां टांका निर्माण किया हुआ है वही से पूर्व में प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए रास्ता प्रचलित था।

इसी प्रकार मौका रिपोर्ट से यह भी स्पष्ट है कि प्रार्थी के खेत खसरा नं. 462 के लिए खसरा नं. 469 में मार्क सी से डी निकटतम रास्ता है जो कि सींव माठ पर से है तथा ग्राम छाजोली से भिणीयाद जाने वाले कटाणी मार्ग पर है। प्रार्थी द्वारा खसरा नं. 462 के लिए प्रस्तावित रास्ता अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 461 के 2 टूकड़े भी कर रहा है। प्रार्थी के खेत में आने जाने के लिए अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 461 में से 15 फीट चोड़ाई के लिए रास्ता चाहा गया है परन्तु किसी प्रकार नजरी नक्शा प्रस्तावित नहीं किया है तथा मौका रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता मार्क ए से बी अप्रार्थी के खेत खसरा नं. 461 के 2 टूकड़े कर रहा है तथा इसी के निकटतम समर्पित भूमि पर पानी का टांका बना हुआ है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र में प्रस्तावित रास्ता सींव की माठ पर से नहीं चाहा गया तथा ना ही रास्ते हेतु प्रस्तावित भूमि के लिए नजरी नक्शा पेश किया है। मौका रिपोर्ट में भी निकटतम रास्ता मौका खसरा नं. 469 में से बताया गया है।

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क के अनुसार खातेदार कृषक को निकटतम दूरी के कटाणी रास्ते से वैकल्पिक रास्ता का अभाव सिद्ध होने की स्थिति में आत्यान्तिक आवश्यकता सिद्ध होने पर ही रास्ता स्वीकृत अथवा घोषित किये का प्रावधान है। प्रकरण में वर्णित तथ्यों, अप्रार्थी के जवाब/आपत्ति एवं मौका रिपोर्ट के अवलोकन से पृथम दृष्टयां ऐसा प्रतीत होता है कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र हाजा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251क की मंशा को धुमिल करने की नियत प्रस्तुत किया जाना एवं स्वच्छ हाथों (Clean hands) से नहीं आना प्रदर्शित करता है। अतः हम प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाना उचित समझते है।

30/03/2021
सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.)
जायल, जिला नागौर

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

दानाराम बनाम भगवती वगैरह
राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 03/2018

– : : आदेश : : –

यत् प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अधीन धारा 251क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खातेदारी खेत खसरा नं. 462 ग्राम–छाजोली तहसील–जायल में कृषि कार्य हेतु आवागमन व आवश्यक संसाधन लाने व ले जाने हेतु अप्रार्थी संख्या 1 के खातेदारी एवं कब्जे काश्त के ग्राम–छाजोली तहसील जायल खेत खसरा नं. 461 में से माफिक नजरी नक्शा अनुसार 15 फीट चौड़ाई का रास्ता के संबंध में प्रार्थी पक्ष द्वारा धारा 251क के मुख्यतः बिन्दू प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु वैकल्पिक रास्ते का अभाव व रास्ते की आत्यान्तिक आवश्यकता को साबित नहीं कर पाने तथा हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वच्छ हाथों से न्यायालय में पेश नहीं किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद जाप्ता कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 30/03/2024 को मेरे द्वारा सरे ईजलास सुनाया गया।

30/03/2024

(रवीन्द्र कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) जायल

Scanned with CamScanner